भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2574
16 दिसंबर, **2025** को उत्तरार्थ

विषय- छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण
2574.श्री सनातन पांडेयः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश के कुल किसानों में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है;
(ख) क्या कुल कृषि ऋण का 30 प्रतिशत से भी कम हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों को दिया जा रहा है;
(ग) यदि हां, तो ग्रामीण किसानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो उक्त श्रेणी के किसानों को दिए गए ऋण का वार्षिक प्रतिशत कितना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कुल किसानों में छोटे एवं सीमांत किसानों के प्रतिशत का आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई नवीनतम कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, देश में कुल कृषि जोतों में से छोटे एवं सीमांत कृषि जोत लगभग 86 प्रतिशत हैं।

(ख) से (घ): सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक एक 100% केंद्र वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण किसानों को अपनी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और किफायती ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में सक्रिय केसीसी खातों की संख्या 7.72 करोड़ तक पहुंच गई है, जिससे ऋण की राशि वर्ष 2013-14 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 10.20 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुसार, कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल ऋण में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 28.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें से छोटे एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) को वितरित ऋण इस अवधि के दौरान बढ़कर 14.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे पता चलता है कि छोटे एवं सीमांत किसानों को कुल कृषि ऋण का लगभग 50% प्राप्त होता है।

केसीसी-एमआईएसएस के अलावा, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) भी किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करती है। ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान करके, ये योजनाएं उधार के प्रभाव को कम करने, समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और बेहतर ऋण अनुशासन (क्रेडिट डिसिप्लिन) को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं।

*****